Volume 1 Issue 5
November 2015

वाराणसी नगर निगम eNewsletter

भारत रत्न लालबहादुर शास्त्री

लालबहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगलसराय ,उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे अत: सब उन्हें मुंशीजी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक ,क्लर्क, की नौकरी कर ली थी।लालबहादुर की माँ का नाम रामदुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लालबहादुर को परिवार वाले प्यार में नन्हें कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हें अठारह महीने का हुआ दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उसकी माँ रामदुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्ज़ापुर चली गयीं। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चन्द्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से **शास्त्री** की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जातिसूचक शब्द *श्रीवास्तव* हमेशा हमेशा के लिये हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात् शास्त्री शब्द लालबहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेशप्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ।

उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें 1964 में देश का प्रधानमन्त्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धान्तिक न होकर पूर्णत: व्यावहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे।

निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाये तो शास्त्रीजी का शासन काल बेहद कठिन रहा। पूँजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर सायं 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परम्परानुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मन्त्रिमण्डल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमन्त्री उस बैठक में कुछ देर से पहुँचे। उनके आते ही विचार.विमर्श प्रारम्भ हुआ। तीनों प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तुस्थिति समझाते हुए पूछा सर क्या हुक्म है शास्त्रीजी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया आप देश की रक्षा कीजिये और मुझे बताइये कि हमें क्या करना है।

शास्त्रीजी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले और **जय जवान.जय किसान** का नारा मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो कभी सपने में भी नहीं की थी।

राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया दिया। इससे भारत की जनता का गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने

द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेत्तृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया। भारतीय थलसेना ने दूनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करके बरकी गाँव के समीप नहर को पार करने मे सफलता अर्जित की। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुँच गयी। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिये कुछ समय के लिये युद्धविराम की अपील की।

आखिरकार रूस और अमरिका की मिलीभगत से शास्त्रीजी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्रीजी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर हैं परन्तु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज़ मंजूर नहीं। काफी जद्दोजहेद के बाद शास्त्रीजी पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकन्द समझौते के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करा लिये गये। उन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किये थे कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे हैं पर यह जमीन कोई दूसरा प्रधान मन्त्री ही लौटायेगा, वे नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ान के साथ युद्धविराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घण्टे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गयी। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्रीजी की मौत हृदयाघात के कारण हुई थी? कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते हैं। शास्त्रीजी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिये आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। **उन्हें मरणोपरान्त वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।**

मुख्य संरक्षक

श्री राम गोपाल मोहले
महापौर

मुख्य संपादक
श्री श्रीहरिप्रताप भााही
नगर अयुक्त

संपादक
श्री बी0के0 द्विवेदी
अपर नगर अयुक्त

समाचार संकलन
श्री संदीप श्रीवास्तव
कोआर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल

कम्प्यूटर डिजाइन
श्री अनुप वर्मा
कम्प्यूटर आपरेटर,

Email-
mcvns1@gmail.com
nagarnigamvns@gmail.com

Website-www.nnvns.org

Phone- 0542 222 1 711

Fax- 0542 222 1 702

Control Room
Toll Free- 155304

जे.एन.एन.यू.आर.एम. एवं हृदय योजना

वाराणसी शहर में जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनोवल मिशन के अन्तर्गत निम्न योजनायें स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैः–

1. वाराणसी जलसम्पूर्ति पेयजल योजना प्रायरिटी–। फेज–। (सिस–वरूणा) रू0 13979.00 लाख (पुनरीक्षित)
2. वाराणसी जलसम्पूर्ति पेयजल योजना प्रायरिटी–। फेज–।। (सिस–वरूणा) रू0 11050.85 लाख (पुनरीक्षित)
3. वाराणसी जलसम्पूर्ति प्रायरिटी–।। (ट्रांस वरूणा) रू0 26836.10 लाख (पुनरीक्षित)
4. सीवरेज ट्रांस वरूणा रू0 40731 लाख (पुनरीक्षित)
5. स्टार्म वाटर डेनेज रू0 25373 लाख (पुनरीक्षित)

वाराणसी जलसम्पूर्ति पेयजल योजना प्रायरिटी–। फेज–।

यह योजना सिस–वरूणा क्षेत्र के लिए है। सिस–वरूणा क्षेत्र में वर्तमान में 104 नलकूप है तथा 65 मिनी नलकूप है। इन नलकूपों में 155 एम.एल.डी. तथा गंगा नदी से 125 एम.एल.डी. ,इस प्रकार कुल 280 एल.एल.डी. जल वर्तमान में उपलब्ध हो रहा है।

आगे चलकर वर्ष 2025 में नलकूपों से कोई जल उपलब्ध नहीं होगा तथा वर्ष 2025 की कुल आवश्यकता जो लगभग 250 एम.एल.डी. है, उसकी प्रति केवल गंगा नदी के जल से होगी, ऐसा मानते हुये तथा भदैनी इन्टेकवेल के माध्यम से पूर्व से लिये जा रहे 125 एम.एल.डी. जल के अतिरिक्त 125 एम.एल.डी. और जल लेकर सिस–वरूणा क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में 250 एम.एल.डी. क्षमता का वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट पूर्व से उपलब्ध है। उसके तथा उससे जलापूर्ति के पूर्व से विद्यमान कार्यों के जीर्णोद्धार/ मरम्मत के कार्यों को तथा 17 नग नये शिरोपरि जलाशय, 27 नग नये सी.डब्लू.आर., 24.82 कि.मी. फीडरमेन के कार्य प्रस्तावित किये गये है। उसके विरूद्ध अबतक 17 नग शिरोपरि जलाशय, 27 नग सी.डब्लू.आर. तथा 24.77 कि.मी. फीडरमेन के कार्य पूर्ण कराये जा चुके है, 20 नग सी.डब्लू. आर. जनोपयोगी हो चुके है। जो 17 नग शिरोपरि जलाशय नये निर्मित हुये है, उन सभी में पानी भरकर उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है तथा 12 नग जनोपयोगी किये जा चुके है। पुराने कार्यों के जीर्णोद्धार / मरम्मत का कार्य भी 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

इस योजना पर वर्तमान तक रू. 131115.90 लाख **(सेन्टेज मद की धनराशि रू. 1011.98 लाख)** की धनराशि प्राप्त हुई है एवं रू. 12113.98 लाख **(रू.1011.98 लाख सेन्टेज मद की धनराशि सम्मिलित है)** की धनराशि व्यय हुई है। इस योजना को पुनरीक्षित किया जा चुका है। पुनरीक्षित लागत सेन्टेज सहित रू. 13979.00 लाख तथा सेन्टेज रहित रू. 12493.00 लाख दिनांक 03.11.2014 को व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी स्वीकृति उ.प्र. शासन द्वारा दिनांक 05.01.2015 को दी जा चुकी है।

हृदय योजना के अन्तर्गत शहर की कुल 14 सड़कों के सुधार एवं मरम्मत कार्य हेतु रू0 7.63 करोड़ की डी0पी0आर0 तैयार कर दिनांक–12.05.2015 को स्वीकृति हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डी0पी0आर0 Evaluation हेतु ''इन्टैक'' को प्रेषित किया गया था। ''इन्टैक'' द्वारा Evaluation कर दिनांक–04.07.2015 को प्राप्त कराया गया है। तद्नुसार पुनरिक्षित आगणन धनांक रू0 11.10 करोड़ का तैयार कर दिनांक–25.08.2015 को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में 10 सड़कों हेतु रू0 7.92 करोड़ की स्वीकृति दिनांक–26.08.2015 को प्राप्त हुई, जिसकी निविदा दिनांक–29.09.2015 को मॉगी गई थी। उक्त तिथि को कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निविदा दिनांक–15.10.2015 को मॉगी गई, जिस पर पुनः निविदा न प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा दिनांक–05.11.2015 को मॉगी गई जिसमें 10 कार्यो में से कुल 9 कार्यो हेतु निविदा प्राप्त हुई, जिसका तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त दिनांक–23.11.2015 में फाइनेन्सियल बिड खोल कर सम्बन्धित ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश की नोटिस जारी की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष 1 कार्य हेतु पुनः निविदा दिनांक–30.11.2015 को मॉगी गई है।होने के कारण पुनः निविदा दिनांक–05.11.2015 को मॉगी गई जिसमें 10 कार्यो में से कुल 9 कार्यो हेतु निविदा प्राप्त हुई, जिसका तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त दिनांक–23.11.2015 में फाइनेन्सियल बिड खोल कर सम्बन्धित ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश की नोटिस जारी की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष 1 कार्य हेतु पुनः निविदा दिनांक–30.11.2015 को मॉगी गई है। परीक्षण क 26 अतिरिक्त सड़कों के मरम्मत का प्रस्ताव तैयार कर दिनांक–29.09.2015 को ''इटैक'' को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। ''इंटैक'' द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव डी0पी0आर0 फार्मेट में मॉगा गया है। डी0पी0आर0 फार्मेट उपलब्ध कराने हेतु ''इंटैक'' को दिनांक–17.10.2015 को सूचित किया गया है। ''इंटैक'' से डी0पी0आर0 फार्मेट एवं सिटी हृदय प्लान में चयनित 20 सड़कों की सूची उपलब्ध होने के पश्चात डी0पी0आर बनाने हेतु कन्सलटेन्ट मे0 प्लानर इंडिया, वाराणसी को कार्यादेश निर्गत किया गया है। कन्सलटेन्ट द्वारा दिनांक–30.11.2015 तक डी0पी0आर0 तैयार कर

वाराणसी पेयजल सम्पूर्ति योजना प्रायरिटी–।।

ट्रान्स वरूणा क्षेत्र में 36 नलकूप है तथा 15 मिनी नलकूप है। इन नलकूपों से 50 एम.एल.डी. जल उपलब्ध हो रहा है, गंगा नदी से फिलहाल कोई जल इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस प्रकार इस क्षेत्र में जल की कुल उपलब्धता 50 एम. एल.डी. है। आगे चलकर, वर्ष 2025 में मात्र 20 नलकूप कार्यकारी रहेगें तथा उनसे 35 एम.एल.डी. जल उपलब्ध होगा ऐंसा मानते हुये 4 रिबोर नलकूप कुल श्राव 7 एम.एल.डी. तथा 10 नये नलकूप कुल श्राव 18 एम.एल.डी. प्रस्तावित किये गये हैं तथा यह प्रस्तावित किया गया है कि इस क्षेत्र में वर्ष 2025 की कुल 160 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिये 100 एम.एल.डी. जल गंगा नदी से लिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत (1) वाराणसी – सारनाथ– गाजीपुर मार्ग पर सारनाथ से गाजीपुर की तरफ लगभग 16 किमी. की दूरी पर स्थित ग्राम रामपुर चन्द्रावती के नजदीक स्थित 200 एम. एल.डी. क्षमता का इन्टेकवेल (जो वर्ष 2040 की आवश्यकता के अनुसार है), (2) सारनाथ में 100 एम.एल.डी. क्षमता का वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, (3) 1200 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी. पाइप (क्लास–14) की 16300 मी. राइजिंगमेन, (4) 150 मि.मी. व्यास से 1200 मि.मी. व्यास तक की पी.एस.सी. (क्लास–14) पाइप तथा डी.आई. पाइप K-7 एवं K-9 की कुल 28789 मी. फीडरमेन, (5) पूर्व निर्मित 6 जोनल वाटर वर्क्स के साइट पर 70 कि.ली. क्षमता से 290 कि.ली. क्षमता तक के 6 भूमिगत जलाशय मय पम्प हाउस व राइजिंगमेन (6) 26 नये प्रस्तावित जोनल वाटर वर्क्स में से दो वाटर वर्क्स सारनाथ व मवईया को छोड़कर, जहाँ के टैंक डायरेक्ट पम्पिंग से भरे जायेगें, शेष 24 वाटर वर्क्स की साइट पर 90 कि.ली. से 140 किली. की क्षमता के 24 सी.डब्लू.आर. मय पम्प हाउस एवं राइजिंगमेन (7) पूर्व निर्मित जोनल वाटर वर्क्स में बने शिरोपरि जलाशयों की मरम्मत का कार्य (8) नये वाटर वर्क्स में 26 नये शिरोपरि जलाशयों का निर्माण (9) 04 रिबोर नलकूपों का निर्माण (10) 10 नये नलकूपों का निर्माण (11) उक्त नलकूपों तथा पूर्ववत निर्मित नलकूपों से भूमिगत जलाशयों तक 6680 मी. राइजिंगमेन का कार्य (12) 100 मिमी. व्यास से 600 मिमी. व्यास तक की पी.वी.सी. 6 किग्रा./सेमी^{2} डी.आई. K-7 पाइपोंके कुल 228470 मी. डिस्ट्रीव्यूशन नेटवर्क का कार्य (13) भवनों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। उक्त के विरूद्ध अबतक अबतक निम्न लिखित कार्य कराये गये है (1) इंटेकवेल की साइट पर तीन तरफ की बाउन्ड्रीवाल का कार्य हुआ है तथा स्टाफ क्वार्टर स्वीच गेयर रूम एवं मीटर रूम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन्टेकवेल का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 15.85 मी. ऊँचाई तक कंक्रटिंग का कार्य पूर्ण है एवं 13.35 मीटर सिकिंग हो चुकी है, परन्तु उक्त भूमि का नगर निगम वाराणसी के पक्ष में पुर्नग्रहण किया जाना है जो अभी नहीं किया गया है, (2) सारनाथ में वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर 786 मी. बाउण्ड्रीवाल का निर्माण 1.2 मी. उँचाई तक पूर्ण हुआ है (3) 5278 मी. राइजिंगमेन का कार्य हुआ है, आगे का कार्य कुछ तो एन.एच.ए.आई के स्तर से मार्ग चौड़ीकरण की कार्य योजना फाइनल न होने के चलते उनसे रोड कटिंग की अनुमति न मिलने के कारण अवरूद्ध है, (4) 22230 मी. फीडरमेन की लेइंग का कार्य पूर्ण, (5) निर्मित 4 जोनल वाटर वर्क्स की साइट पर भूमिगत जलाशय के निर्माण का कार्य विभिन्न कारणों से अनारम्भ, (6) नये प्रस्तावित जोनल वाटर वर्क्स में से 18 भूमिगत जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत, 01 भूमिगत जलाशय का कार्य 95 प्रतिशत, 02 का कार्य 65 प्रतिशत तथा 02 का कार्य 05 प्रतिशत पूर्ण (7) पूर्व निर्मित वाटर वर्क्स के शिरोपरि जलाशयों की मरम्मत का कार्य पूर्ण (8) नये वाटर वर्क्स में कुल प्रस्तावित 26 जलाशयों में से कुन्दननगर पार्क के स्थान पर नैपाली बाग मलिन बस्ती शिवपुर बाजार तथा गौतम गार्डेन कालोनी पार्क को छोड़कर जहाँ भूमि पर विवाद है शेष 24 में कार्य प्रगति पर है जिसमें से 18 की प्रगति–95 प्रतिशत, 04 की प्रगति 90 प्रतिशत, 01 की प्रगति–85 प्रतिशत, 01 की प्रगति 05 प्रतिशत है, जिसमें से 06 शिरोपरि जलाशय नलकूपों के माध्यम से जनोपयोगी हो चुके है। (9) 03 रिबोर नलकूपों का कार्य पूर्ण जो कमीशन हो गये है, चौथे रिबोर नलकूप के बोरिंग का कार्य कराने हेतु रिंग मशीन कार्य स्थल पर है, परन्तु वकीलों द्वारा मोटर साईकिलें खड़ी किये जाने के कारण बोरिंग का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, (10) 09 नग नये नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा वे कमीशन भी हो गये है। 01 नग नये नलकूपों के पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण है, पम्प अधिष्ठापन कार्य शेष है। (11) नलकूपों से राइजिंगेन 5886 मी. पूर्ण (12) 198935 मी. डिस्ट्रीव्यूशन के लेइंग का कार्य पूर्ण एवं 51952 मी. जनोपयोगी की जा चुकी है। (13) भवनों के निर्माण कार्य जो इंटेकवेल/डब्लू.टी.पी. के निर्माण के साथ होना है में से प्रशासनिक भवन (डब्लू.टी.पी. स्थल पर) का निर्माण कार्य उक्त भूमि पर स्टे होने के कारण रूका हुआ है तथा स्टाफ क्वार्टर, मीटर रूम, स्वीच गेयर रूम (इन्टेकवेल स्थल पर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुमानित लागत रू. 26836.10 लाख (सेन्टेज सहित), रू. 24082.72 लाख सेन्टेज रहित दिनांक 15.11.2014 को व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। वर्तमान तक रू. 182. 9038 लाख **(सेन्टेज मद की धनराशि रू. 2753.38 लाख)** की धनराशि प्राप्त हुई है एवं रू. 16307.19 लाख **(सेन्टेज मद की धनराशि रू. 1811.91 लाख)** की धनराशि व्यय हुई है। उक्त तीनों योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् वाराणसी नगर के सिस–वरूणा एवं ट्रान्स–वरूणा दोनों क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित रूप से जलापूर्ति उपलब्ध हो सकेगी।

वाराणसी पेयजल सम्पूर्ति योजना प्रायरिटी–। फेज–।।

इस योजना के अन्तर्गत सिस–वरूणा क्षेत्र में वितरण प्रणाली बिछाये जाने तथा मीटर लगाये जाने का कार्य प्रस्तावित किया गया है। बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई 466.27 किमी. तथा लगाये जाने वाले मीटरों की संख्या 2 लाख प्रस्तावित हैं उक्त के विरूद्ध अबतक 465.050 किमी. वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है, जिसमें से लगभग 231.478 किमी. वितरण प्रणाली की टेस्टिंग पूर्ण करके जनोपयोगी बनायी जा चुकी है। अवशेष पाइप लाइन कमीशन किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। वाराणसी शहर सँकरी गलियों का शहर है जहाँ मशीनी उपकरण लगाकर कार्य कराना सम्भव नहीं है, उक्त कारणों से प्रगति धीमी रही है। वाटर मीटर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु निविदा प्राप्त हो चुकी हैं निविदा की स्वीकृति की कार्यवाही जल निगम मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन हैं इस योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका हैं पुनरीक्षित लागत सेन्टेज सहित रू. 11050.85 लाख है जिसमें से सेन्टेज की धनराशि रू. 780.83 लाख है वर्तमान तक रू. 11050.85 लाख (रू. 780.83 लाख सेंटेज मद की धनराशि) की धनराशि प्राप्त हुई है एवं रू. 7292.73 लाख (रू. 780.83 लाख सेंटेज मद की धनराशि) की धनराशि व्यय हुई है।

सीवरेज ट्रांस वरूणा क्षेत्रः–

उक्त योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है तथा जल निगम को रू0 330.03 करोड़ अवमुक्त है, जिसके विरूद्ध रू0 262.2658 करोड़ व्यय किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत कुल 142.58 किमी. सीवर लाइन, 2 पम्पिंग स्टेशन व सथवा में 120 एम.एल.डी. का एस.टी.पी. बनाया जाना था। परियोजना का निर्माण मे0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा किया जा रहा है। मूल स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ग्राम सथवां के निकट एस.टी.पी. का निर्माण होना था। ग्राम सथवा में कृषकों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के कारण जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही निरस्त कर दी गयी थी। अब जिलाप्रशासन/नगर निगम, वाराणसी द्वारा वैकल्पिक 6.666 हेक्टेयर भूमि ग्राम गोइठहां में चयनित की गई है। इस भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ कर धारा 4(1)/17 एवं धारा 6(1)/17 की कार्यवाही की अधिसूचना क्रमशः दिनांक 12.08.2013 एवं दिनांक 03.10.2013 को जारी की जा चुकी है। धारा 6(1)/17 की कीर्यवाही के दौरान भू–स्वामी द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका योजित कर दी गई थी, जिसे मा0 उच्चन्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2015 को निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा 07.02.2015 को उक्त भूमि उ0प्र0 जल निगम को हस्तान्तरित कर दी गई है तथा एस.टी.पी. के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस समय डिजाइन/ड्राइंग सम्बन्धी कार्य प्रगति पर हैं। लगभग 18 माह में एस0टी0पी0 को पूर्ण कर चालू कर दिया जायेगा। अब तक कुल 141.30 कि0मी0 सीवर लाइन डाली जा चुकी है। योजना के पूर्ण होने के उपरान्त ट्रांस वरूणा क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में कोई सीवरेज व्यवस्था नहीं है, पूर्ण रूप से सीवरेज से आच्छादित हो जायेगा तथा वरूणा नदी में 9 नालो के माध्यम से गिरने वाला घेरलू अवजल प्रत्यावर्तित हो सकेगा।

स्टार्म वाटर ड्रेनेजः–

वाराणसी नगर के स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना की स्वीकृत लागत रू0 191.62/253.73 करोड़ है, जिसमें रू. 95.61 करोड़ (50 प्रतिशत) केन्द्रांश है। योजना के विरूद्ध रू. 252.9957 करोड़ अवमुक्त है, जिसके विरूद्ध कुल रू0 250.075 करोड़ व्यय किये जा चुके है। योजना पूर्ण होने पर वाराणसी शहर का लगभग 80 वर्ग किमी. क्षेत्र, जल निकासी से आच्छादित होगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन में विशेष सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 873/9–5–2009 –260 बजट/08 दिनांक 11.03.2009 से जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। आचार संहिता लागू होने के कारण योजना के क्रियान्वयन हेतु तत्काल कोई कार्यवाही नही की जा सकी। दिनांक 30.3.2010 को निविदा स्वीकृत की गयी तथा फर्म को दि0 12.4.2010 कार्य प्रारम्भ की तिथि दी गयी। फर्म द्वारा 37 ड्रेनो के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर 67.75 किमी. ड्रेन बिछायी जा चुकी है एवं सभी ड्रेनों को जनोपयोगी बनाया जा चुका है। योजना का हस्तान्तरण प्रपत्र वाराणसी नगर निगम को जुलाई, 2015 प्रेषित किया जा चुका है।

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्टः–

परियोजना का कार्य पी0पी0पी0 मोड के आधार पर कन्शेशनायर मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट, गुड़गाँव (हरियाणा) द्वारा किया जाना अनुबन्धित है परन्तु कन्शेशनायर द्वारा माह 01/2014 से कार्य बाधित किये जाने के फलस्वरूप नगर निगम द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किये जाने हेतु प्रारम्भिक नोटिस दि0 02.02.15 को जारी की गयी एवं निरस्तीकरण नोटिस दि015.05.2015 को जारी कर दी गयी है। वर्तमान समय प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। मुख्यालय से 16 कि0मी0 दूर ग्राम करसड़ा, वाराणसी में स्थित प्लाण्ट का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।